राजस्थान सरकार
न्याय विभाग
———————

क्रमांकः प.1(10) बैठक/न्याय/2013पार्ट जयपुर, दिनांक 26.10.2017

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/
   प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष।
3. समस्त जिला कलक्टर
   (जिला नोडल अधिकारी, लाईट्स)

———————————————

विषयः– न्यायालयों में 10 वर्ष से अधिक लम्बित न्यायिक प्रकरणों की समीक्षा बाबत।

महोदय/महोदया,

इस विभाग के अ.शा.पत्र क्रमांकः प.1(10) बैठक/न्याय/2013/419 दिनांक 25.06.2015 के द्वारा न्यायालयों में 10 वर्षो से अधिक लम्बित न्यायिक प्रकरणों (जिस में राज्य सरकार एक पक्षकार है) की प्रभावी समीक्षा करने के लिये उक्त प्रकरणों को न्याय विभाग द्वारा निर्धारित Red Category में सम्मिलित किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रकरणों को Red Category की सूची से हटाते हुये अब Orange Category में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। न्याय विभाग द्वारा लाईट्स सॉफ्टवेयर में आदिनांक तक के उक्त प्रकरणों को Red से Orange Category में स्थानांतरित कर दिया गया है।

आपसे अनुरोध है कि भविष्य में 10 वर्ष से अधिक लम्बित न्यायिक प्रकरणों को भी Orange Category में ही इन्द्राज करवाने का श्रम करावें।

भवदीय

प्रमुख शासन सचिव

D:\SO\P.1(10)